क्रम-संख्या--59

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्लू०/एन० पी०-...
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 मार्च, 1999

फाल्गुन 27, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 645/सत्रह-वि-1-1 (क) 30-1999

लखनऊ, 18 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 17 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1997 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह 20 अक्टूबर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1997 में नई धारा 8-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1997 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार

"8-क—इस अधिनियम के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1998 और स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1999 पर भी लागू होंगे।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 649 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 30-1999

Dated Lucknow, March 18, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Snatakottar Chikitsa Shiksha (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-Jatiyon Aur Anya Pichhare Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 17, 1999.

THE UTTAR PRADESH POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 1999

(U.P. Act No. 9 of 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Post Graduate Medical Education (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Post Graduate Medical Education (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 20, 1998.

Insertion of new section 8-A in U.P. Act no. 14 of 1997

2. *After* section 8 of the Uttar Pradesh Post Graduate Medical Education (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1997, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Extension of the provisions of the Act

"8A. The provisions of this Act shall also apply, *mutatis mutandis* to the Post Graduate Medical Entrance Examination, 1998 and Post Graduate Medical Entrance Examination, 1999."

3. (1) The Uttar Pradesh Post Graduate Medical Education (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 1998 is hereby repealed. Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 15 of 1998

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 293 सा० (विधा०)—(2456)—1999—850 (मैक०)।